राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः– प.14(88)वित्त/नियम/2008 जयपुर, दिनांकः 4 NOV 2016

मेमोरेण्डम 4 NOV 2016

विषय :– अधिकारियों/कर्मचारियों को संतोषजनक सेवा अभिलेख के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत करने के संबंध में।

वित्त विभाग के समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 07.06.2011 में निम्न प्रावधान हैं :–

"यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत 7 वर्षो की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं है, तो ए.सी.पी के प्रकरण का निस्तारण करने के लिए संतोषजनक सेवा का निर्धारण निम्न आधार पर किया जावेः–

1 किसी अधिकारी/कर्मचारी के गत 7 वर्षो में से जितने वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं, उतने ही पिछले वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जावें।
2 कोई विभागीय अथवा फौजदारी जांच का प्रकरण विचाराधीन न हो।
3 पिछले वर्षो में निरन्तर वार्षिक वेतन वृद्धियां मिलती रही हैं।
4 नियंत्रक अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र दिया जावे।"

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के संबंध में यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यदि गत 7 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो तो अधिकतम कितने पिछले वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकते हैं।

उक्त बिन्दु संख्या 1 के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गत 7 वर्षो की निरन्तरता में उपलब्ध नहीं हैं, तो एसीपी के प्रकरणों का निर्धारण निम्न आधार पर किया जावेः–

1 राज्य सेवा के अधिकारियों के मामले में जितने वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उतने वर्षो के अधिकतम गत 3 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकेंगे।
2 इसी प्रकार राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में जितने वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं उतने वर्षो के अधिकतम गत 2 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देखे जा सकेंगे।
3 यदि फिर भी 7 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम हैं उतने आगामी वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 7 वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने पर ही एसीपी स्वीकार की जा सकेगी।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

04/11/2016

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त

(RPS - 03/2016)